भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *82

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में स्वर्ण ऋण संबंधी गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

*82. श्री आनंद भदौरिया:
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में स्वर्ण ऋण संबंधी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान स्वर्ण ऋण से उत्पन्न गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का वर्ष-वार, बैंक-वार और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने स्वर्ण ऋण संबंधी एनपीए में 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो मार्च 2024 में 1513 करोड़ रुपए से बढ़कर जून 2024 तक 2445 करोड़ रुपए हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के समग्र ऋण पोर्टफोलियो में स्वर्ण ऋण संबंधी एनपीए का प्रतिशत क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा स्वर्ण ऋण वितरण में समुचित मूल्यांकन और जोखिम आकलन सुनिश्चित करते हुए छोटे ऋणकर्ताओं के लिए ऋण की सुलभता बेहतर किए जाने हेतु किए गए उपायों सहित स्वर्ण ऋण क्षेत्र में एनपीए के जोखिम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में स्वर्ण ऋण संबंधी गैर-निष्पादनकारी आस्तियां" के संबंध में श्री आनंद भदौरिया और श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा पूछे गए दिनांक 10.2.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *82 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और उच्च और मध्यम स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में स्वर्ण ऋण से संबंधित सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) में मार्च, 2024 से जून, 2024 तक 18.14% की वृद्धि हुई है और इसी अवधि के दौरान एससीबी में स्वर्ण ऋण से संबंधित सकल जीएनपीए में 21.03% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.6.2024 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में स्वर्ण ऋण से संबंधित सकल एनपीए अनुपात 0.22% था और उच्च तथा मध्यम स्तरीय एनबीएफसी का अनुपात 2.58% था।

आरबीआई के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक और एनबीएफसी स्वर्ण ऋण में निहित जोखिम को कम करने और संपार्श्विक के रूप में प्रस्तुत किए गए सोने का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) संपार्श्विक के रूप में पेश किए गए सोने का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन नियमित अंतराल पर करना ताकि विभिन्न तरीकों जैसे, एसिड परीक्षण, टचस्टोन परीक्षण, एक्स-रे फ्लूरोसेन्स (एक्सआरएफ) विश्लेषण आदि से सोने की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) गिरवी रखे गए सोने के मूल्य का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल मूल्य निर्धारकों का पैनल बनाना।

(ग) उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखे गए सोने का मूल्यांकन शाखा अधिकारियों और उधारकर्ता की उपस्थिति में सीसीटीवी निगरानी में किया जाता है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वर्ण ऋण विनियामकीय दिशानिर्देशों और आंतरिक नीतियों के अनुसार दिए गए हैं, नियमित अंतराल पर ऑडिट किया जाता है।

(ङ) यदि ग्राहक ऋण चुकाने में विफल रहता है तो गिरवी रखे गए सोने की नीलामी की जाती है, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों को देयताओं का भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम नोटिस भेजा जाए।

इसके अतिरिक्त, स्वर्ण ऋण में एनपीए के जोखिम को कम करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 27.02.2024 के अपने पत्र के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सलाह दी है कि वे दिनांक 1.1.2022 से दिनांक 31.1.2024 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत/संवितरित सभी स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की व्यापक समीक्षा करें जिसमें संपार्श्विक का मूल्यांकन और परख, ब्याज और उधारकर्ताओं से वसूल किए गए अन्य प्रभारों का विश्लेषण आदि को शामिल किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा संवितरित किए गए स्वर्ण ऋण में विनियामकीय दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों का पालन किया गया है।

(ख) आरबीआई ने पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को दिनांक 30.9.2024 को सलाह दी है कि वे स्वर्ण ऋण के संबंध में अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की व्यापक समीक्षा करें ताकि कमियों का पता लगाया जा सके और समयबद्ध तरीके से उचित सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को अपने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की बारीकी से निगरानी करने और आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों तथा अन्य-पक्ष सेवा प्रदाताओं के संबंध में समुचित नियंत्रण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई थी।

(ग) उधारदाताओं को जोखिमों, जैसे स्वर्ण के मूल्य में अस्थिरता, मूल्यांकन संबंधी चूक आदि से बचाने के लिए आरबीआई के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी सहित विनियमित संस्थाओं को सोने के

गहने और आभूषणों के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक का ऋण प्रदान करने की अनुमति नहीं है। ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात (एलटीवी) 75% बनाए रखना अपेक्षित है।

(घ) इसके अतिरिक्त, जिन ऋणों में ऋण (बुलेट पुनर्भुगतान ऋण) के परिपक्व होने पर ब्याज और मूलधन, दोनों, भुगतान के लिए देय हैं, उनमें बैंकों को स्वीकृति की तिथि से 12 माह की अवधि से अधिक के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति नहीं है, ताकि ऋण संबंधी चूक के जोखिम को कम किया जा सके।

इसके अलावा, छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करने के उद्देश्य से एससीबी द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले ऋणों के लिए उपर्युक्त एलटीवी अनुपात प्रयोज्य नहीं है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उधारदातों को स्वर्ण ऋण के मामले में 20,000 रुपए तक का नकद संवितरण करने की अनुमति है।

*****